उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 8 मई, 1970 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 31 दिसम्बर, 1971 की बैठक में स्वीकृत किया ।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 17 जनवरी, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22 जनवरी, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

यू० पी० टाउन एम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलाएगा।

यू० पी० ऐक्ट सं० 8, 1919 में नयी धारा 67 जी-जी का रखा जाना।

2—यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 की धारा 67-जी के पश्चात् निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

देयों और शास्तियों की मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली

"67-जी-जी—इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन व्यवस्थित वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शास्ति, क्षतिमूल्य, कर या शुल्क के रूप में ट्रस्ट को देय कोई धनराशि, जो इस अधिनियम के अधीन वसूली योग्य हो अथवा जल-परिव्ययों या किसी भी अन्य परिव्यय या किराये या अधिमूल्य के रूप में अथवा ट्रस्ट द्वारा गृह-निर्माण या उसके सुधार के लिए दिए गए किसी ऋण के रूप में अथवा क्रय-विक्रय पर बेचे गए गृहों के मूल्य के रूप में ट्रस्ट को देय कोई धनराशि, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।"

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 23 जुलाई, 1969 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।)

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 43 जरनल (लेग०)—1972—1,799+50 (मे०)

THE UTTAR PRADESH TOWN IMPROVEMENT (AMENDMENT) ACT, 1972

(U. P. ACT NO. 8 OF 1972)

*[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Town Improvement (Shanshodhan) Adhiniyam*, 1972].

AN

ACT

further to amend the U. P. Town Improvement Act, 1919

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-Second Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Town Improvement (Amendment) Act, 1972.

Insertion of new section 67-GG in the U. P. Act VIII of 1919.

2. *After* section 67-G of the U. P. Town Improvement Act, 1919, the following section shall be *inserted*, namely :—

Recovery of dues and penalties as arrears of revenue.

"67-GG. Without prejudice to any other mode of recovery provided by or under this Act or any other law for the time being in force, any sum due to the Trust on account of penalty, damages, tax or fee recoverable under this Act, or on account of water charges or any other charges or rent or premium, or on account of any loan granted by the Trust for the construction or improvement of houses, or on account of the price of houses sold on hire-purchase, shall be recoverable as arrears of land revenue."

---

*[For Statement of Objects and Reasons, please *see Uttar Pradesh Gazette (Extraordinary)*, dated July 23, 1969.]

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on May 8, 1971 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 31, 1971.)

(Received the Assent of the Governor on January 17, 1972 under Article 200, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated January 22, 1972.)

टी० एस० यू० पी०—ए० पी० 44 जनरल (लेग०)—1972—1,817+50 (मे०) ।